

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, नगरीय निकाय/मिशन निदेशक (अमृत), उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2018

विषय:-प्रदेश की नागर निकायों में स्थापित परम्परागत (Conventional-CFL) स्ट्रीट लाइटों को कम ऊर्जा खपत वाली एल.ई.डी.(Light Emitting Diode) लाइटों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि प्रदेश के नागर निकायों में स्थापित परम्परागत (Conventional-CFL) स्ट्रीट लाइट्स को कम ऊर्जा खपत वाली एल.ई.डी. (Light Emitting Diode) लाइट्स में परिवर्तित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है एवं इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 23.08.2017 निर्गत करते हुए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं:-


उल्लेख किया जाना है कि प्रदेश के नगर निगमों में उक्त कार्य EESL के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लेते हुए कार्य योजना से सम्बन्धित MOU को शासन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इस क्रम में EESL एवं निदेशक, स्थानीय निकाय के मध्य कार्य से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र के शासन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

प्रदेश के नगर निगमों एवं EESL के मध्य द्विपक्षीय अनुबन्ध करते हुए कार्य को आगे बढ़ाना है। शासन द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेन्ट की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। यह एक मॉडल एग्रीमेन्ट है। अतः प्रत्येक नगर निगम द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है।

2- नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य नागर निकायों में भी परम्परागत स्ट्रीटलाइट के स्थान पर एल0ई0डी0 लाइट लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। जो नागर निकाय EESL के माध्यम से एल0ई0डी0 लाइट्स लगवाना चाहते हैं, वे अपना प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त अनुबन्ध पत्र के ड्राफ्ट के अनुरूप EESL से द्विपक्षीय अनुबन्ध कर नागर निकाय अपने यहाँ एल0ई0डी लाइट्स को लगाने का कार्य प्रारम्भ करेगी।

अतएव शासन द्वारा अनुमोदित अनुबन्ध पत्र ड्राफ्ट की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(मनीज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।
६

संख्या— (1)/नौ-8-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।
2. ~~एन.ए.~~ Energy Efficiency Services Limited (EESL) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में निदेशक/मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ से समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।
५